



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938

No. 454]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASHADHA 10, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 657(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (पॉचवा संशोधन) योजना, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, के पैरा 11, के उप-पैरा (4) में अन्त में आने वाले शब्दों "पन्द्रह हजार रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पर" के पश्चात् "और विद्यमान सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो उच्चतर वेतन के आधार पर ऐसा नया विकल्प चाहते हैं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 15011/4/2016-एस.एस.-2]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 603 (अ), तारीख 16.06.2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1 st July, 2016

G.S.R. 657(E).— In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Fifth Amendment) Scheme, 2016.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 11, in sub-paragraph (4), after the words "on salary exceeding fifteen thousand rupees per month" occurring at the end, the words "and the pensionable salary for the existing members who prefer such fresh option shall be based on the higher salary", shall be inserted.

[F. No. R-15011/4/2016-SS-II]

Manish Kumar Gupta, Jt. Secy.

Note:The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 748(E), dated 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 603(E), dated 16th June, 2016.